

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, दुमका (झारखण्ड)

..... वाद सं०-...../.....

..... बनाम

(धारा 144 द०प्र०स०)

आदेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
<p>17-12-18 22/4/19</p>	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>प्रथम पक्ष द्वारा उपस्थिति दी गई। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख का अवलोकन किया तथा पाया कि द०प्र०स० की धारा 144 के अंतर्गत प्रक्रिया प्रारंभ नहीं है। कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु कारणपृच्छा नोटिस निर्गत की गई है। कारणपृच्छा प्राप्त।</p> <p>वाद दिनांक 29/1/16 से दिनांक 22/4/19 तक विचाराधीन है। इस बीच किसी भी प्रकार की शांति भंग की सूचना अब तक किसी भी माध्यम अर्थात् थाना प्रभारी अथवा पक्षकार से अप्राप्त है। तात्पर्य है कि शांति व्यवस्था कायम है।</p> <p>अतः वर्तमान में वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>अनु०दण्डा०</p>	<p>अनुमंडल दण्डाधिकारी दुमका।</p>